2726
27/6/13
2728
28/6/13

अनुसूची– 14 फारम संख्या– 562 ।

# न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर, दरभंगा

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

आदेश पत्रक अंतर्गत न्यायालय भूमि सुधार उप समा०, सदर, दरभंगा।

भूमि विवाद वाद संख्या 29 सन् 2013-14

डा० इन्द्रवल्लभ झा बनाम श्री गंगाधर झा ।

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| 22.06.13 | आदेश<br>सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद डा० इन्द्रवल्लभ झा पिता- स्व० ताराकांत झा, सा०-महिया अंचल- तारडीह, थाना- सकतपुर, जिला- दरभंगा द्वारा दायर किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद मौजा- महिया अंचल- तारडीह के खाता- 281 (पु०) 61 (नया) खेसरा 916 (पु०) 386 (नया) के रकबा- 08 धुर जमीन पर अपना उद्घोषित करने एवं उक्त जमीन के हाल सर्वे खतियान को वादी के नाम से संशोधित करने के लिए दायर किया गया है।<br>सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादी द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में यह वाद दायर किया गया है। इनके द्वारा एक वंशावली का संदर्भ देकर बताया गया कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही खानदान से संबंधित हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजों के बीच दिनांक 22.11.1930 को निबंधित बँटवारा एकरारनामा हुआ था जिसमें खेसरा- 915 (पु०) 382 एवं 384 (नया) रकबा 08 धुर जमीन विपक्षी के पूर्वज | |

क्रमशः

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित |
| --- | --- | --- |
| | तथा खेसरा- 916 (पु0) 386 (नया) का 08 धुर जमीन वादी के पूर्वज को प्राप्त हुआ। उनके अनुसार वादी द्वारा मौजा मढ़िया के खाता- 181 (पु0) खेसरा- 915 (पु0) 382 एवं 384 (नया) का 08 धुर रकबा प्रतिवादी से मौखिक बदलैन का उक्त जमीन प्रतिवादी को दिया गया। उनके अनुसार खेसरा 915 (पु0) वादी के पूर्वज को निबंधित एकरारनामा बँटवारा से प्राप्त है। उनके द्वारा बताया गया कि वाद पत्र के अनुसूची-02 में वर्णित खाता - 281 (पु0) 61 (नया) खेसरा- 916 (पु0) 386 (नया) रकबा- 08 धुर जमीन प्रतिवादी गण को निबंधित एकरारनामा से प्राप्त है तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त 08 धुर जमीन वादी को मौखिक बदलैन में दिया गया है तथा दोनों पक्ष एक-दूसरे को दिए गए बदलैन की जमीन पर शांतिपूर्ण दखल- कब्जा में हैं। उनके अनुसार वादी द्वारा विपक्षी को दिए गए खेसरा 915 (पु0) 382 एवं 384 (नया) का हाल सर्वे खतियान एवं नक्शा रकबा- 08 धुर का बना है। उनके अनुसार वादी को बदलैन में प्राप्त प्रश्नगत खेसरा 916 (पु0) 386 (नया) पर वादी का शौचालय, स्नानघर एवं चापाकल है तथा कुछ अंश पर वादी का आवासीय मकान बना हुआ है। उनके अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादी को दिए गए जमीन पर प्रतिवादी का शांतिपूर्ण दखल- कब्जा है। उनके अनुसार हाल सर्वे के दौरान सर्वे अमला की गलती से खेसरा- 916 (पु0) 386 (नया) का खतियान भी प्रतिवादीगण के नाम | |

क्रमशः

अनुसूची- 14 फारम संख्या- 562।

# न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर, दरभंगा

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

आदेश पत्रक ..............................................................

भूमि विवाद ........ वाद संख्या ........ 29 ........ सन् 2013-14 ........

........................................ बनाम ........................................

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| | से बन गया है, जबकि उक्त जमीन का खतियान वादी के नाम से बनना चाहिए। इनके अनुसार विगत 50-60 वर्षों से उक्त जमीन पर वादी का दाखिल-कब्जा है। इनके अनुसार विपक्षी द्वारा गलत हाल सर्वे खतियान के आधार पर वादी के प्रश्नगत जमीन पर गलत रूप से दावा किया जा रहा है। इनका अनुरोध है कि प्रश्नगत जमीन पर वादी का अधिकार घोषित किया जाय तथा उक्त जमीन का हाल सर्वे खतियान प्रतिवादी के नाम से खारिज कर वादी के नाम पर दर्ज किया जाय।<br>सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। इनके अनुसार विवादित भूमि के संबंध में वादी द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। इनके अनुसार प्रश्नगत जमीन विपक्षी की मौरूसी सम्पत्ति है तथा इसका बँटवारा वर्ष 1930 में ही हो चुका है, जिसमें प्रतिवादी को पुराना खेसरा-915 एवं हाल खेसरा-382 तथा 384 से 08 धुर जमीन तथा खेसरा 916(पु) 386(नया) से भी 19 धुर जमीन | |

[signature]

क्रमशः

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| | गया है। इनके अनुसार उक्त बँटवारा में वादी को भी खेसरा- 915 (पु०) के पश्चिम से 01 कट्ठा 19 धुर तथा खेसरा 916 (पु०) के दक्षिण से 9×11 हाथ चौड़ा जमीन प्राप्त हुआ तथा उभय पक्ष अपने- अपने हिस्से की जमीन पर दखल- कब्जा में रहे। इनके अनुसार वास्तविक दखल- कब्जा के आधार पर प्रश्नगत जमीन का हाल सर्वे खतियान बना है, जो सही है। इनके अनुसार वादी द्वारा जान-बूझकर अपना खतियान प्रस्तुत नहीं किया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत जमीन का पक्षकारों के बीच कभी भी बटवारा नहीं हुआ है तथा वादी द्वारा वर्णित दोनों ही अनुसूची की जमीन पर विपक्षी का शांतिपूर्ण दखल- कब्जा है। इनके अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादी के हिस्से की लगभग 02 धुर जमीन अतिक्रमित कर लिया गया है तथा वादी द्वारा उक्त जमीन को खाली नहीं किया जा रहा है। इनका अनुरोध है कि वादी के आवेदन को खारिज कर दिया जाय।<br><br>उभय पक्ष को सुनने एवं इनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से प्रश्नगत जमीन पर वादी का दावा सही प्रतीत होता है। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन पर वादी का दखल-कब्जा काफी पूर्व से है तथा उभय पक्ष एक ही खानदान से संबंधित है। अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन के संबंध | |

3/7

अनुसूची- 14 फारम संख्या- 562।

# न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता सदर, दरभंगा

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 कर नियम 129)

आदेश पत्रक ....................

भूमि विवाद वाद संख्या 29 सन् 2013-14

....................बनाम....................

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित |
| --- | --- | --- |
| | में कोई भी प्रासंगिक कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर वादी का अधिकार घोषित किया जाता है। अवलोकन से प्रश्नगत जमीन का हाल सर्वे खतियान भी दखल-कब्जा के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है, लेकिन अंतिम रूप से प्रकाशित हाल सर्वे खतियान में इस स्तर से कोई भी संशोधन किया जाना सही नहीं है। अतएव, इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। वादी यदि चाहें तो वे प्रश्नगत जमीन के हाल सर्वे खतियान में संशोधन हेतु सक्षम न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकते हैं।<br>लेखापित।<br>22/06/13<br>भूमि सुधार उपसमा०, सदर, दरभंगा।<br>22/06/13<br>भूमि सुधार उपसमा०, सदर, दरभंगा। | |